

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग


क्रमांक : प. 1(87)एमई/ग्रुप-1/13

जयपुर, दिनांक : ४/५/१७

आदेश

माईक्रोबायोलोजी विशिष्टता की पूर्व में दिनांक 20.7.2013 को आयोजित डीएसीपी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक की अनुशंसाओं को डॉ. घनश्याम सोनी, आचार्य माईक्रोबायोलोजी के प्रकरण में रिव्यू किये जाने हेतु रिव्यू डीएसीपी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक दिनांक 13-4-2017 को आयोजित की गई। कमेटी की अनुशंसा पर डॉ. सोनी की डीएसीपी के तहत पूर्व में दिनांक 06.6.2012 से आचार्य माईक्रोबायोलोजी के पद पर पदोन्नति हेतु की गई अनुशंसा को निरस्त कर, उनको दिनांक 01.4.2012 से आचार्य माईक्रोबायोलोजी एवं इसके परिणामस्वरूप दिनांक 01.4.2016 से वरिष्ठ आचार्य माईक्रोबायोलोजी के पद पर एतद्वारा पदोन्नति प्रदान की जाती है। इस पदोन्नति पर डॉ. सोनी अपने वर्तमान पदस्थापन स्थान पर यथावत पदस्थापित रहेंगे।

आदेश से,


(भगवत् सिंह)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राज., जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक, मेडिकल कॉलेज, जयपुर/अजमेर/कोटा/बीकानेर/जोधपुर/उदयपुर।
6. संबंधित चिकित्सक।
7. श्री पी.पी. तिवाड़ी, सहायक प्रोग्रामर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. रक्षित पत्रावली।


(महेश व्यास)
शासन सहायक सचिव